न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 23/2016

मोहनलाल आयु 71 साल पुत्र श्री कालूलाल जाति–मीना निवासी–ग्राम गजनपुरा तहसील–बारां, जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1–नन्दकिशोर पुत्र श्री कालूलाल जाति–मीना निवासी–गजनपुरा तह.बारां
2–मोहनीबाई पुत्री कालूलाल पत्नी प्रहलाद कुमार जाति–मीना नि. गजनपुरा हाल निवासी बरला तहसील अटरू जिला–बारां
3–मन्नीबाई पुत्री कालूलाल पत्नी श्री तोलाराम जाति–मीना निवासी–गजनपुरा हाल निवासी–आमली तहसील–अटरू जिला–बारां
4–द्रोपदीबाई पुत्री कालूलाल पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश जाति–मीना निवासी–गजनपुरा हाल निवासी–घोडीगांव निवासी–सीसवाली रोड खेमजी महाराज के पास अंता तहसील–अन्ता जिला–बारां
5–सुमित्राबाई पुत्री कालूलाल पत्नी भारतप्रकाश जाति–मीना, निवासी–गजनपुरा हाल निवासी पचेलखुर्द तहसील–अन्ता जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 545 दिनांक 21.05.2012 वाके ग्राम नलका तह. बारां अन्तर्गत धारा–75 भू. राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

निर्णय दिनांक– 23.01.2019

1– [illegible] न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 545 [illegible] वाके ग्राम नलका तह0 बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत [illegible] 75 [illegible] अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट व [illegible] 5 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् खाता सं0 180 खसरा नम्बर 389 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 390 रकबा 2.35 है0, ख0नं0 394 रकबा 0.79 है0 कुल किता 3 रकबा 4.01 है0 एवं इसी प्रकार खाता संख्या 181 में खसरा नम्बर [illegible] रकबा 5.64 है0, ख0नं0 395 रकबा 6.72 है0, ख0नं0 398 रकबा [illegible] किता रकबा 17.62 है0 स्थित है, जो वर्तमान में अपीलांट व [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

[illegible] ता 5 के पिता श्री कालूलाल जी की मृत्यु के बाद केवल अपीलांट व रेस्पों क्रम–1 व उनकी मॉ रामनाथीबाई के नाम उक्त आराजियात् खातेदारी में दर्ज थी। परन्तु अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 की माता रामनाथी बाई की मृत्यु होने पर [illegible] पटवारी द्वारा गलत नजरा बनाकर अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं कर, [illegible] रामनाथीबाई के स्थान पर उसकी पुत्रियों का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त विवादित आराजियात् कालूलाल के खातेदारी की थी जिसका इन्तकाल अपीलांट व रेस्पों0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रम–1 में 1/2, 1/2 हिस्से पर दर्ज होना था। विवादित आराजी मे अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 की माता रामनाथीबाई का सयुक्त खाते में 1/2 व 1/6 हिस्सा हिस्सा निहित था। परन्तु रामनाथीबाई बाई के स्थान पर उसकी पुत्रियों रेस्पों0 2 ता 5 का 1/27 व 1/9 हिस्सा दर्ज कर दिया है जो गलत दर्ज किया गया है। जबकि उक्त आराजियात् अपीलांट व रेस्पों0 क्रम 1 का 1/2, 1/6 हिस्से पर नाम दर्ज किया जाना था। हल्का पटवारी ने अपनी मनमानी से रेस्पों0 क्रम–2 ता 5 का नाम दर्ज किया गया है जो गलत है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति में पुत्रों के होते हुये, पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है।

2– अपीलांट व रेस्पों क्रम–1 के पिता श्री कालूलाल ने अपनी हेसियत के अनुसार पुत्रियों की शादी विवाह अच्छे परिवार में की है तथा हेसियत अनुसार दान दहेज दिया है। रेस्पों0 क्रम 2 ता 5 सम्पन्न परिवार में है। उक्त आराजी में रेस्पों0 क्रम 2 ता 5 के किसी प्रकार से हक हकूक नहीं है। क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों को चल व अचल सम्पत्ति में हक व हिस्से प्राप्ति के अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 545 दिनांक 21.5.2012 निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड से रेस्पों0 क्रम 2 ता 5 का नाम हटाया जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पों क्रम 2 ता 5 की ओर से दिनांक 07.06.2017 को इकबाली जवाब जर्ये श्री चन्द्रप्रकाश मीणा एडवोकेट प्रस्तुत हुआ जिसमें निवेदन किया गया कि उनके नाम इन्तकाल नं0 545 दिनांक 21.5.2012 में से निरस्त फरमायें जावे। उनके नाम निरस्त किये जाने में उन्हे कोई एतराज नहीं है। तदुपरान्त प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये [illegible] कि प्रश्नगत आराजी पिता कालूलालजी की है जो उनकी [illegible] रेस्पों क्रम–1 एवं माता रामनाथीबाई के सयुक्त खातेदारी [illegible] नम्बर 389 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 390 रकबा 2.35 है0, [illegible] है0 कुल किता 3 रकबा 4.01 है0 हिस्सा 1/2 एवं इसी [illegible] में खसरा नम्बर 379 रकबा 5.64 है0, ख0नं0 395 रकबा 6.72 [illegible] रकबा 5.26 है0 कुल 3 किता रकबा 17.62 है0 हिस्सा 1/6 दर्ज हुयी है। माता रामनाथीबाई की मृत्यु दिनाक 05.11.2010 को होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामनाथीबाई का फौती इन्तकाल वारिसान् अपीलांट व रेस्पो0 क्रम–1 [illegible] नाम दर्ज किया गया है। जबकि रेस्पों0 पुत्रियों का विवाह हो चुका है, [illegible] निवास कर रहीं है। रेस्पों0 क्रम 2 ता 5 ने न्यायालय हाजा में [illegible] जवाब प्रस्तुत किया है कि रेस्पों. अपनी माता की आराजी [illegible] उनका नाम राजस्व रेकार्ड में से हटाया जावे। उन्हे इन्तकाल में से उनका नाम हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल में से रेस्पों0 क्रम 2 ता 5 का नाम हटाया जावे। साथ हीं [illegible] अपीलांट व रेस्पों0 मीणा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। जिसमें पुत्रों के होने हुये, पुत्रियों को अपने पिता की आराजी में कोई हक व हिस्सा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त करने के अधिकार नही है। मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत आर0आर0डी0 पेज 606 की प्रति पेश की। साथ हीं निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 545 दिनांक 21.5.2012 निरस्त किया जाकर, रामनाथीबाई के हिस्से की आराजी पर अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतका रामनाथीबाई पत्नी कालूलाल मीना सा.देह नलका की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल वैधानिक वारिसान् मोहनलाल,नंदकिशोर (पुत्र) मोहनीबाई, मन्नीबाई, द्रोपदीबाई, सुमित्राबाई(पुत्रियों) के नाम दर्ज किया गया हैं। अपील में अपीलांट का मत है कि रेस्पों क्रम 2 ता 5 ने न्यायालय हाजा में एकबाली जवाब प्रस्तुत कर, उक्त आराजी बाबत अनापत्ति पेश की गयी है साथ हीं कथन किया कि मीणा जाति (अनुसूचित जनजाति) के सदस्यों में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में हक अधिकार नहीं है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांत का अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट्स मीणा (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य है तथा अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में विधि दृष्टांत आर0आर0डी0 पेज 606 पेश किये है। चूकि न्यायालय हाजा में रेस्पों0 क्रम 2 ता 5 ने उपस्थित होकर एकबाली जवाब प्रस्तुत कर, अनापत्ति जाहिर कर, उनका नाम राजस्व रेकार्ड में से हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इसलिये पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान प्रचलित नियमों के तहत जॉच कर, सहीं वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु भिजवाना उचित समझते है।

6– परिणामस्वरूप, अ[illegible] स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, [illegible]करण संख्या 545 दिनांक 21.05.2012 निरस्त किया जाकर, [illegible]लय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की [illegible] रामनाथीबाई पत्नी कालूलाल मीणा नि. नलका के वारिसान् को सु[illegible]मों/अधिनियम की रोशनी में मृतका के वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official